



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2025/D-53

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 264288 दिनांक 31/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Anuj Bhageria S/o Brij Kishore Bhageria	श्रीमती विमला कुमारी पत्नी स्व. श्री श्री चेतन्यमल ढढड़ा व श्री संजय ढढड़ा एवं श्री सुधीर ढढड़ा पुत्रा	3	400.00 SQ. YARD	Cooperative	SHYAM NAGAR VISTAR Sector/Block-G	Name Transfer	रजिस्ट्रार सिविल लाईन जोन जयपुर द्वारा दिनांक 15.11.2022 को जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र अनुसार श्रीमती विमला कुमारी पत्नी स्व. श्री श्री चेतन्यमल ढढड़ा की मृत्यु दिनांक 10.07.2022 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु के पश्चात् इनके विधिक वारिसों में श्रीमती विनिता बोथरा पुत्री स्व. श्री चेतन्यमल ढढड़ा ने उक्त भूखण्ड सं. जी-3 क्षेत्रफल 400.00 वर्गगज में से अपने अविभाजित हिस्सा 1/3 को पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 03.04.2025 के द्वारा श्री संजय ढढड़ा एवं श्री



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

सुधीर ढढड़ा पुत्रान
स्व. श्री
चेतन्यमल ढढड़ा
के पक्ष में
हकत्याग
निष्पादित किया
गया है। श्री संजय
ढढड़ा एवं श्री
सुधीर ढढड़ा पुत्रान
स्व. श्री
चेतन्यमल ढढड़ा
ने उक्त योजना
श्याम नगर
विस्तार के भूखण्ड
सं. जी-3 क्षेत्रफल
400.00 वर्गगज
को पंजीकृत
विक्रय पत्र दिनांक
14.10.2025 के
द्वारा श्री अजुन
भगेरिया पुत्र श्री
बृज किशोर
अग्रवाल के पक्ष
में बैचान किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपति online सबमिट करें, अन्यथा आपति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Anuj Bhageria S/o Brij Kishore Bhageria को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004